Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA
[L.D. Appeal Case No.-66/2025-26]

Champa Devi @ Ama Devi & Anr...Appellants.
Versus
The State of Bihar & Anr..Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	21.1.2026	**आदेश**	

यह अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बनमनखी द्वारा बी.एल.डी.आर. वाद संख्या-44/2023-24 में दिनांक-24.5.2025 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षीगण की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है।

प्रश्नगत भूमि का विवरणी निम्नानुसार है :-

अंचल	मौजा/थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा
बनमनखी	पीरअली चकला/70	34	242	08 कड़ी

दिनांक 06.1.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षीगण का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। अपीलार्थी का कहना है कि उनके द्वारा प्रश्नगत जमीन सहित अन्य जमीन का क्रय खतियानी रैयत सत्य नारायण भगत से 04 निबंधित केवाला के माध्यम से वर्ष-2004 किया गया है, जिसके उपरान्त उनके दखल-कब्जा में रहा है। एवं वर्ष-2005 में ही उक्त जमीन पर उनके द्वारा घर-शौचालय आदि बनाकर उपयोग किया जा रहा है। जबकि विपक्षी का कहना है कि उनके द्वारा खतियानी रैयत के वंशज से निबंधित केवाला संख्या-823 दिनांक-11.2.2023 के माध्यम से 3 डी. 500 वर्गकड़ी जमीन का क्रय किया गया है। तथा यह कि उनके जमीन से सटे 08 कड़ी जमीन, जो कि ईंट सोलिंग रोड के लिए केवाला में अंकित है, पर अपीलार्थी द्वारा जबरन अपना बताकर उस पर शौचालय का निर्माण कर दिया गया है, जिसके कारण उनके आने-जाने का रास्ता बाधित हो गया है। साथ ही विपक्षी द्वारा उक्त सड़क की जमीन पर अपीलार्थी द्वारा बनाए गये अवैध संरचना को हटाने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि प्रश्नगत जमीन सहित अन्य जमीन देव नारायण भगत एवं सत्य नारायण भगत के नाम से खतियान में दर्ज है। तथा यह कि अपीलार्थी एवं विपक्षी के द्वारा निबंधित केवाला के आधार पर जमीन का क्रय किया गया है। कागजातों के आधार पर यह स्थापित हो रहा है कि उभय पक्ष के बीच वस्तुतः प्रश्नगत जमीन (08 कड़ी) पर बने शौचालय के कारण रास्ता बाधित होने से विवाद है। कागजातों में संदर्भित भू-मापी अभिलेख सं.-134/23-24 एवं अंचल अधिकारी, बनमनखी के पत्रांक-203, दिनांक-23.1.2025 के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि अपीलार्थी द्वारा रास्ते की जमीन पर जबरन शौचालय बना दिया गया है। सुनवाई में अपीलार्थी की ओर से विपक्षी के अभिकथन एवं संगत तथ्यों को Negate करने हेतु कोई Admissible Evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है। अतः इस प्रकार प्रश्नगत जमीन पर अपीलार्थी का दावा विधिमान्य प्रतीत नहीं होता है।

P.

21.1.2026	निम्न न्यायालय के स्तर से उभय पक्ष के अभिकथन के संदर्भ में संगत तथ्यों की विवेचना करते हुए यथोचित Findings के आधार पर आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप अथवा संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतः इस अपील वाद को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें। Raje K. 21/1/26. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया लेखापित एवं शुद्धित। Raje K. 21/1/26. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	